न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

निगरानी सं० 20/2024 (ग्राम पंचायत)

1. रामफूल पुत्र मूलचन्द
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र कालूराम
3. छाजूलाल पुत्र लक्ष्मण
4. रसाहय पुत्र गोपाल
5. रामनाथ पुत्र काल्या
6. कजोडमल पुत्र लोहडीराम
7. सुखपाल पुत्र मूल्या
8. गोपीराम पुत्र काल्या
9. केदारप्रदाद पुत्र टूण्डाराम
10. प्रभूदयाल पुत्र रामस्वरूप
11. लालाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम ढाणी कोठ्या मानपुरिया, ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति व तहसील नांगल राजावतान

......निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ब्रदीलाल मीना पुत्र श्री कानाराम जाति मीना निवासी ढाणी कोठ्या मानपुरिया, ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति व तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति व तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति व तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत मानपुरिया बाबत पत्रावली सं० 4/2021–22 दिनांक 20.9.202 तारीख फेसला व पट्टा दिनांक 30.5.2022 संकल्प संख्या 2 दिनांक 6.5.2022 पट्टा सं० 3 बुक नं० 17 बहक बद्रीलाल मीना

उपस्थितः–1. श्री नरेन्द्र तिवाडी, श्री जितेन्द्र तिवाडी, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 व 3 की ओर से।
3. श्री पवन कुमार शर्मा, गैर निगरानीकर्ता सं० 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 31.01.2025

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, मानपुरिया द्वारा अप्रार्थी सं० एक के पक्ष में पट्टा दिनांक 30.5.2022 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकारान [illegible] निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण [illegible] अधीनस्थ ग्राम पंचायत मानपुरिया का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को द[illegible]ते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं० 1 बद्रीलाल ने दिनांक 20.9.2021 को ग्राम पंचायत मानपुरिया में प्रार्थना पत्र में अंकित खाली पडत भूमि बाबत निःशुल्क पट्टे के लिए आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

मानपुरिया ने सरासर विधि विरूद्ध व गैर कानूनी तरीके से नियम 158(2) के तहत नि:शुल्क पट्टा 45 गुणा 35 फीट भूमि का जारी कर दिया जो गुपचुप में जारी किया गया है व समस्त कार्यवाही अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा इनके गुट के पंचों के हस्ताक्षर कराकर गुपचुप में सारी कार्यवाही की गई है जिसकी जानकारी अपीलांट या गांव के किसी भी आदमी को नहीं हुई एवं गुपचुप में ही अप्रार्थी नं0 2 ने अप्रार्थी सं0 1 के नाम दिनांक 16.6.2022 को उक्त नि:शुल्क पट्टे का विक्रय पत्र भी उप पंजीयक नांगल राजावतान के समक्ष निष्पादित करा दिया। जबकि उक्त भूमि अपीलांट व गांव वालों की कदीम की रास्ते की भूमि है। उक्त फर्जी पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जबरन उक्त रास्ते की भूमि में पत्थर डालने व जबरन निर्माण करने की कोशिश करने पर हुई कि इस भूमि का उन्होने गैर कानूनी प से पंचायत से पट्टा बनवा लिया जिस पर अपीलांट गांव वालो ने अप्रार्थी संख्या एक को रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण नही करने दिया व दिनांक 13–6–2024 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा की जनसुनवाई ग्राम प्यारीवास में हुई, उसमें अपीलांट सहित आम जनता ढाणी कोठ्यावाली ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को इसकी शिकायत की कि इस तरह अप्रार्थी संख्या एक को गैर कानूनी रूप से पट्टा दे दिया जिसके आधार पर वह जबरन रास्ते की भूमि में निर्माण करने पर आमादा है इस पर श्रीमान द्वारा बी.डी.ओ. नांगल राजावतान को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया उसी सुनवाई में स्वंय अप्रार्थी संख्या एक ने भी श्रीमान को उसके पुत्र रामेश्वरलाल की मार्फत एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसे गांव वाले उसकी पट्टेशुदा भूमि में निर्माण नही करने दे रहे है जिससे मौका देखकर उसके निर्माण को चालू करवाया जावे उसको भी श्रीमान द्वारा बी.डी.ओ. नांगल राजावतान को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। उक्त दोनो शिकायतो पर बी डी ओ साहब द्वारा नियमानुसार जांच कमेटी का गठन कर तीन सदस्यो द्वारा मौके की जांच करवाई गई। इस मौके की जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी नम्बर 1 के पट्टे व मौके की जांच की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 बद्रीलाल को जो पट्टा जारी किया गया है वह गलत व अवैध माना है व उससे अपीलांट व गांव वालो का रास्ता अवरूद्ध होना माना है। जिसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट श्रीमान को बीडीओ नांगल राजावतान द्वारा पत्र कमांक 1177 दिनांक 2–7–2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। मगर पंचायत समिति द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करने से इंकार कर दिया कि कलेक्टर साहब ने जांच करवाई है, उसकी हमने जांच रिपोर्ट भेज दी, अब इस पट्टे को कलेक्टर साहब ही खारिज कर सकते है, जिस पर श्रीमान के समक्ष यह निगरानी याचिका पेश की जा रही है। ग्राम पंचायत मानपुरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो पट्टा जारी किया गया है उसकी समस्त कार्यवाही सरासर गैर कानूनी व गलत है, जो निर्णय व पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। स्वंय बद्रीलाल अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जो ग्राम पंचायत में दिनांक 20–9–2021 को पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया उसमें स्वंय ने मौके पर खाली पडत भूमि होना अंकित किया है व उसका किसी प्रकार कोई वर्तमान व पुरातन कब्जा होना नही बताया। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की गई व उसके द्वारा बनाई गई मौका कमेटी द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश की गई उसमें सरासर झूठे तौर पर प्रार्थी के आवेदन में किसी प्रकार का कब्जा न होना अंकित करने के बावजूद मनमाने तरीके से पूर्वजो के कच्चे घर, गुवाडी आदि पूर्व में मौजूद होना व वर्तमान में वो चिन्ह मिटकर भूमि खाली होना दर्शा [illegible] का सरासर झूठे तौर पर पुराना कब्जा अंकित कर दिया, जो रिकॉर्ड से ही सरासर [illegible] णित है, व उसके आधार पर दिया गया पट्टा प्राथमिक तौर पर ही खारिज [illegible] र्ट व निर्णय में अप्रार्थी संख्या एक को बीपीएल का व्यक्ति बत [illegible] द्रीलाल का पुत्र कंचन सन 2015 के आस पास से केन्द्रीय सेवा रेल्वे में नौकरी में है, जिसस [illegible] द्रीलाल बीपीएल का पात्र भी नही है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट में व निर्णय में उक्त आबादी भूमि के विक्रय से कोई रास्ते की भूमि में बाधा न होना झूठे तौर से अंकित कर दिया जबकि उक्त भूमि में होकर कदीम से अपीलांट व गांव वालो का सार्वजनिक आम रास्ता है जिससे समस्त कार्यवाही निर्णय व पट्टा खारिज किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य है। दो गवाह कजोडमल व गेंदाराम के प्रिन्टेड फार्म में बयान लेना अंकित किया है वह भी
सरासर झूठा व साईक्लोस्टाईल फार्म में है जिसमें मनमाने तौर पर 30–40 वर्षो से काबिज होना
बताया है, जबकि उक्त जमीन खाली पडत भूमि है व रास्ते की भूमि है। इसी प्रकार चूंकि अप्रार्थी
संख्या एक के पास इसके पास ही पूर्व से पक्का मकान स्थित है इससे भी वह निःशुल्क पट्टा प्राप्त
करने का कानूनन अधिकारी नही था, जिससे भी ग्राम पंचायत की कार्यवाही व पट्टा प्राथमिक तौर
पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ग्रामवासीगण व स्वंय अप्रार्थी संख्या एक के आवेदन
पर श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा के आदेश से जो मौके की जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार की
गई है, उसमें भी स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने आ गया कि उक्त भूमि का रियायती दर पर
निःशुल्क आवंटन नही किया जा सकता जो अवैध कार्यवाही है। उक्त भूमि की निलामी की जानी
चाहिए थी, इसी प्रकार ड्रोन सर्वे एवम पैमाईश करने पर मौके पर 45 गुणा 31 फीट भूमि ही पाई
गई एवम् उक्त पट्टेशुदा पट्टे की भूमि से स्थानीय ढाणी के निवासियो का रास्ता बन्द होना पाया
गया है। इसी प्रकार बद्रीलाल के पास पूर्व से निर्मित मकान होने के बावजूद निःशुल्क पट्टा दिया
गया है, जो अवैध है। इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट में यह भी माना है कि बद्रीलाल ने अपने मकान के
आगे जो पक्का चबूतरा बना रखा है वह आबादी भूमि में आता है मगर उसको मेलाफाईडली पट्टे
की नाप में अंकित नही किया गया है व चबूतरा छोडकर सरासर गलत रूप से पट्टा जारी किया
गया है, जो अवैध व निरस्त किये जाने योग्य है, व यह माना है कि पीछे जो अपीलांट के मकान
बने हुए है उनको वहां जाने का सार्वजनिक रास्ता है व उक्त रास्ते का पट्टा दे देने से अपीलांट व
गांव वालो का रास्ता ही खत्म हो जाता है जिससे ग्राम पंचायत द्वारा जो पटटा देने की कार्यवाही
की गई है वह सरासर गलत व अवैध है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का
निर्णय पट्टा प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई
जाकर ग्राम पंचायत मानपुरिया का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 6.5.2022 संकल्प सं0 2 दिनांक 6.
5.2022 तथा उसके आधार पर जारी किया गया पट्टा सं0 03 बुक नं0 17 दिनांक 30.5.2022
जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 16.6.2022 को उप पंजीयक नांगल राजावतान में हुई उक्त समस्त
कार्यवाही को निरस्त फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकारान ने अपने कथनों के समर्थन में
न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2016 (3)(राज.) पृष्ट 1202–1205, डीएनजे 2015 (1)(राज.) पृष्ट
445–448 की प्रति पेश की गई।

4. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि बहस में कथन किया कि गैर
निगरानीकार सं0 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत मानपुरिया द्वारा मिसल सं0 4/2021–22 के तहत
पट्टा सं0 03 दिनांक 30.5.2022 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 02 दिनांक 6.5.2022 की पालना
में जारी किया गया है। पट्टाधारक बी0पी0एल0 की श्रेणी में आता है। गैर निगरानीकार को ग्राम
की गै0मु0 आबादी भूमि खसरा नंबर 625 में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः
निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

5. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 02 व 03 ने बहस में कथन किया कि गैर निगरानीकार सं0 1 के
हक में ग्राम पंचायत मानपुरिया द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रकिया पूर्ण करके विधिवत पट्टा जारी
किया गया है। उक्त जारी पट्टे को उप पंजीयक नांगल राजावतान द्वारा पंजीयन किया गया है।
गैर निगरानीकार सं0 1 को जारी किया गये पट्टे की भूमि गैर निगरानीकार सं0 1 के पूर्वजों
के समय से कब्जे की भूमि रही है तथा पूर्व में उक्त भूमि पर कच्चे घर गुवाडी आदि
बने हुए थे तथा उसी जगह का पट्टा गैर निगरानीकार सं0 1 के
हक में जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व निरीक्षण कमेटी जिसके सदस्य
रामफूल मीना उप सरपंच तथा वार्ड पंच पानबाई व दीनदयाल मीना द्वारा मौके की विधिवत पूर्ण
जांच कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें गैर निगरानीकार सं0 1 का मौके पर कब्जा होना,
पूर्व में कच्चे घर गुवाडी होना तथा आम रास्ते में कोई बाधा नहीं आना व पडौसियों को कोई
परेशानी नहीं होना स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत मानपुरिया द्वारा जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग की अथवा रास्ते की भूमि नहीं रही है। गैर निगरानीकार सं0 1 बीपीएल श्रेणी का गरीब वृद्ध व्यक्ति है। निगरानीकर्तागण गैर निगरानीकार सं0 1 से राजनैतिक रंजिश रखते है जिसके कारण दुर्भावनावश यह निगरानी निहायत झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त फरमाई जावे। राजनैतिक प्रभाव की आड में मिलीभगत करके व राजनैतिक दबाव डलवाकर तथाकथित जांच रिपोर्ट तैयार करवाई गई है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में भी स्पष्ठ रूप से रास्ता अवरूद्ध नहीं होना तथा चारों तरफ रास्ता प्रमाणित है। निगरानीकर्तागण ने गैर निगरानीकार सं0 1 को हैरान परेशान करने की गरज से झूंठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 20.9.2021 को ग्राम पंचायत मानपुरिया के समक्ष पट्टे के लिए आवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत मानपुरिया ने कानूनी प्रकिया को पूर्ण कर दिनांक 6.5.2022 को निर्णय करते हुए अप्रार्थी सं0 1 को कानूनी रूप से नियम 158(2) के तहत निःशुल्क पट्टा 45 गुणा 35 फीट भूमि का जारी किया गया है। उक्त पट्टे की अप्रार्थी सं0 1 के नाम दिनांक 16.6.2022 को रजिस्ट्री उप पंजीयक नांगल राजावतान के यहॉ विधिवत करवाई गई। अप्रार्थी सं0 1 का अपनी उक्त रजिस्टर्ड पट्टे की भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। पूर्व मेंउक्त पट्टेशुदा भूमि पर कच्चे घर गुवाडी आदि थे तथा वर्तमान में मौके पर अप्रार्थी सं0 1 ने 2 ट्रोली बजरी 2 ट्रोली रोडी व 06 ट्रोली पत्थर डलवा रखे हैं जो मौके पर मौजूद है। अप्रार्थी नं0 1 के उक्त रजिस्टर्ड पट्टेशुदा भूखंड के दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता है जो चालू है। उक्त भूखंड से कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं हो रहा है तथा ना ही पूर्व में कोई विवाद रहा है। अप्रार्थी नं0 1 की उक्त रजिस्टर्ड पट्टेशुदा भूमि कभी भी किसी प्रकार से सार्वजनिक रास्ते की भूमि नहीं रही है ना ही उक्त भूमि पर कभी कोई रास्ता रहा है। निगरानी खारिज योग्य है। अप्रार्थी नं0 1 की उक्त रजिस्टर्ड पट्टेशुदा व कब्जेशुदा भूखंड से निगरानीकर्तागण का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है ना ही भूमि रास्ते की भूमि है। परन्तु निगरानीकर्तागण अप्रार्थी सं0 1 के रजिस्टर्ड पट्टेशुदा व कब्जे की भूमि के संबंध में द्वेषता रखते है तथा निगरानीकर्तागण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। निगरानीकारान द्वारा उक्त भूमि को रास्ते की भूमि बताकर अप्रार्थी नं0 1 की रजिस्टर्ड पट्टेशुदा भूमि को बिना किसी हक व अधिकार के निर्माण कार्य में दखलंदाजी करना चाहते है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 3 ने बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी निर्णय को सीधे श्रीमानजी के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध संबंधित पंचायत समिति में चुनौती दी जा सकती है। कानूनन रजिस्टर्ड पट्टे के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान को निगरानी की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण भी निगरानी खारिज योग्य है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे खर्चे खारिज फमराई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. इस संबंध में धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 अवलोकनीय है जो कि इस प्रकार हैः–
8. इस संबंध में धारा 97 पंचायती राज अधिनियम अवलोकनीय है जो कि इस प्रकार हैः–

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or SubCommittee thereof in respect of any case to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Inserted by Sec. 8 of the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 1994 (Act No. 23 of 1994) published in Rajasthan Gazette Extra-ordinary, Part IV (A) dated 06.10.1994 as a new Sec. (95- A) after Sec. 95 (w.e.f. 23-01-1994).
Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.
(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec. (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

9. राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 (पंचायत के आदेश की अपील) इस प्रकार है:–
(1)इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के अधीन किये गये या जारी किये गये किसी पंचायत के आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्देश की अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से तीस दिन के भीतर भीतर कर सकेगा जिसमें से उनकी प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अध्यपेक्षित समय अपवर्जित होगा।
(2) उप–धारा (2) के अधीन की अपील की सुनवाई धारा 56 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा की जायेगी।
(3) उप–धारा (2) के निर्दिष्ट स्थायी समिति व्यथित व्यक्ति, पंचायत और ऐसे आदेश या निर्देश से, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात ऐसे आदेश या निर्देश को परिवर्तित, अपास्त या पुष्ट कर सकेगी और अपील फाईल करने वाले व्यक्ति को या उससे हर्जा खर्चा भी दिलवा सकेगी।
(4) स्थायी समिति का विनिश्चय समस्त प्रयोजन के लिए पंचायत समिति का विनिश्चय समझा जावेगा।

10. साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 166 में निम्न प्रावधान है:–
166.अपीलें–(नियम 154 के अधीन आबादी भूमि के विक्रय या नियम 160 के साथ पठित नियम 156 के अधीन आबादी भूमि के अंतरण या नियम 157, 158 या 159 के अधीन, भूमियों के आवंटन की पुष्टि करने वाले पंचायत के किसी मूल आदेश की पंचायत समिति को कोई अपील अधिनियम की धारा 61 के अनुसार हो सकेगी।

11. इस प्रकरण में हमारा मत है कि प्रार्थीगण सर्वप्रथम यदि वह उक्त जारी किये गये पट्टे से व्यथित है तो उसकी अपील पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

12. अतः निम्न निर्देश के साथ प्रार्थना पत्र का [illegible] है:–

- प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण [illegible] पंचायत समिति नांगल राजावतान के समक्ष उपस्थित होकर अपना [illegible] पंचायत समिति नांगल राजावतान अपना निर्णय पारित करें। इस आदेश के साथ ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति भी भिजवाई जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

- यदि कोई पक्ष पंचायत समिति के निर्णय से व्यथित होता है तो वह भविष्य में पुनः निगरानी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह निगरानी जो कि विलंब से प्रस्तुत की गई है जिस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। भविष्य में यदि किसी पक्ष द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जाती हैं तो लिमिटेशन के बिन्दु पर भी अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested